रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 1995/वैशाख 22, 1917
No. 202] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 1995/VAISAKHA 22, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1995

स. 91/95-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 387(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स. 83/90-सीमाशुल्क, तारीख 20 मार्च, 1990 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(क) आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर को इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करता है कि ऐसे गलनशील स्क्रैप का उपयोग विद्युत् आर्क भट्टी या प्रेरण भट्टी में या किसी गर्म वात्या गुम्बद (हाट ब्लास्ट क्यूपोला) में गलाने के लिये किया जायेगा और उक्त शर्त का पालन करने में उसके असफल रहने की दशा में, वह उक्त स्क्रैप की ऐसी मात्रा की बाबत, जिसके बारे में यह साबित नहीं किया गया है कि उसका इस प्रकार उपयोग किया गया है, यदि उसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अंतर के बराबर रकम संदत्त करने का दायी होगा; और"

[फा. सं. बी 31/2/95–टीआरयू]

राजीव तलवार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1995

NO. 91/95-CUSTOMS

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/90-Customs, dated the 20th March, 1990, namely :—

In the proviso to the said notification, for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the importer furnishes an undertaking to the Assistant Collector of Customs to the effect that such melting scrap will be used in electric arc furnace or induction furnace on melting in a hot blast cupola and in the event of his failure to comply with the said condition, he shall be liable to pay in respect of such quantity of the

said scrap as is not proved to have been so used, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation ; and".

[F. No. B. 31/2/95-TRU]
RAJIV TALWAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995